

कार्यालय राँची नगर निगम, राँची



नगर निगम अधिनियम की धारा 123 (1), (2) एवं 177 के अन्तर्गत
श्री Anup Kumar पिता Sh. Raj Kishore Mandal
पता 1st Floor Above ICICI Bank Atm Near Malabar Enclave Bapaty
वार्ड नं. Housing Colony No. 4
व्यवसाय का विवरण Total Archi solutions
गृह संख्या/दुकान संख्या वार्ड नं० 4

वर्ष 2012-13 के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

M.R. No. 12233 dt 14-7-12 Rs. 250/-
नोट :- यदि व्यवसाय का स्थान बदल जाता है तो इसकी सूचना कार्यालय को
लिखित रूप में तुरन्त देना अनिवार्य है

08728
No.

G. Bhat
14.07.12
निबन्धन पदाधिकारी
राँची नगर निगम, राँची



कार्यालय रांची नगर निगम, राँची

अनुज्ञप्ति

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 155 (i) एवं 455 (i) के अंतर्गत

संख्या : 01054/16/17
दिनांक : 26-05-2016

श्री ANUP KUMAR

पिता/पति का नाम RAJ KISHOR MANDAL

वाड़े नं. 22

मुहल्ला 5 4 FLOOR KAULESHAWAR I TOWER ABOVE
RAJASTHAN KALESHWALAYA KUTCHERY CHOWK
RANCHI

को रांची नगर निगम
क्षेत्रान्तगत

TOTAL ARCHI SOLUTIONS

प्लॉट नं.

गृह संख्या

फर्म /प्रतिष्ठान का नाम

वाड़े 22

मुहल्ला / वाईलेन में KUTCHERY CHOWK RANCHI DEPUTY PARA ROAD SHOP NO 5 4
FLOOR ABOVE RAJASTHAN KALEWALAYA KAVELSWARI
APARTMENT

व्यवसाय ARCHITECTURAL FIRM

के लिए निर्धारित शुल्क 700.00/-

(Seven Hundred Rupees)

₹ विविध रसीद सं. TRN146401479210235

दिनांक 26-05-2016 द्वारा प्राप्त कर वर्ष 2016-2017 के लिए अनुज्ञप्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

नोट :-

1. यह अनुज्ञप्ति जिस व्यवसाय के लिए निर्गत की गई है, वही व्यवसाय चलाना जना है। इसमें यदि परिवर्तन की जाती है, तो निगम से पूर्वानुमति आवश्यक है।
2. व्यवसाय स्थल का परिवर्तन अथवा परिसर वृद्धि की सूचना निगम को देना अनिवार्य है।
3. व्यवसाय बंद करने की सूचना पूर्व में ही देना होगा।
4. यदि व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार अन्य संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है और तत्संबंधी अनुमति जिस अवधि के लिए प्राप्त है उसी अवधि तक के लिए अनुज्ञप्ति मान्य होगा।
5. प्रत्येक वर्ष अथवा के प्रथम सप्ताह में अनुज्ञप्ति नवीकरण करना आवश्यक होगा।
6. अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त के एक माह पूर्व इसके नवीकरण का आवेदन देना अनिवार्य है।
7. नवीकरण में विवक्ष्य होने पर झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 459 के अधीन Penalty देय होगा।
8. प्रतिष्ठान के सामने आवेध पाकिंग नहीं होनी चाहिए।
9. निगम द्वारा निर्धारित स्थल पर ही कचरा कैंबना सुनिश्चित करेंगे।



For More Details Please Visit : www.ranchimunicipal.com
Or Call us at 18001212241 or 0651-7145511

निबंधन पदाधिकारी,
रांची नगर निगम, राँची।